



2026:AHC: 163558

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 973/1988

रोशन लाल और अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: सीमा पांडेय, एल.के. पाठक

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या- 90

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. अपीलार्थी के लिए विद्वान न्याय मित्र सुश्री सीमा पांडेय, और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आपराधिक अपील विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, हमीरपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 18 वर्ष 1986 (राज्य बनाम रोशन लाल और अन्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19.04.1988 के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
3. घटना 25.10.1985 को हुई थी, और प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। तत्पश्चात विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
4. इस अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी संख्या 1 (रोशन लाल) की मृत्यु हो गई, और वर्तमान आपराधिक अपील की कार्यवाहियां उसके विरुद्ध उपशमित हो गई हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. स्वयं घटना के दो अभियोजन गवाह हैं, अर्थात् पी.डब्ल्यू.-1 (बस कंडक्टर) और पी.डब्ल्यू.-2 (बस चालक)। पी.डब्ल्यू.-1, जिसे कथित तौर पर लूटा गया था, ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान विशेष रूप से गवाही दी कि वह उस व्यक्ति को नहीं पहचान सका जिसने उसका बैग लूटा था क्योंकि अंधेरा था। वाहन के चालक पी.डब्ल्यू.-2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में विशेष रूप से गवाही दी कि वह यह नहीं देख सका कि घटना कब हुई; उसे इसके बारे में तभी पता चला जब कंडक्टर ने बताया कि उसका बैग चोरी हो गया है। उसने आगे गवाही दी कि बस के अंदर अंधेरा था। जबकि, पी.डब्ल्यू.-1 ने गवाही दी कि बस के अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं थी और पूरी तरह से अंधेरा था। ये दोनों प्रमुख गवाहों के बयानों के बीच तात्त्विक विरोधाभास हैं। पी.डब्ल्यू.-1 ने अपनी जिरह में आगे गवाही दी कि बस के अंदर अंधेरा था और वह उन व्यक्तियों को नहीं पहचान सका जिन्होंने उसे लूटा और पीटा था।

6. पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। उन्हें अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था और उन्होंने विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज बयानों को देने से इनकार किया। इसके अतिरिक्त, विद्वान एडीजीसी (आपराधिक) द्वारा जिरह के दौरान, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत ऐसा कोई बयान नहीं दिया था।

7. पी.डब्ल्यू.-5/पुरुषोत्तम प्रसाद (वरिष्ठ उप-निरीक्षक) वह गवाह है जिसने चेक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और जनरल डायरी तैयार किया।

8. पी.डब्ल्यू.-7 (राम कृष्ण गोयल, मनोरंजन कर अधिकारी), जिसकी घड़ी भी कथित तौर पर लूटी गई थी, ने अपनी जिरह के दौरान गवाही दी कि वह 48 वर्ष का था और चश्मा पहनता था। उसने कहा कि वह घटना से पूर्व अभियुक्तों को नहीं जानता था और उसने उन्हें केवल घटना के समय और बाद में गिरफ्तार होने पर देखा था। उसने कहा कि उसने उन्हें उनके कपड़ों और रूप-रंग से पहचाना। हालांकि, उसने स्वीकार किया कि जब अभियुक्त बस से उतरे, तो उसने उनके चेहरे नहीं देखे थे। उसे याद नहीं कि उसने निरीक्षक को बताया था कि राज कुमार की जेब से 116 रुपये नकद बरामद किए गए थे, और न ही वह इस बात का कोई स्पष्टीकरण दे सका कि निरीक्षक द्वारा ऐसा बयान क्यों दर्ज किया गया था। कथित तौर पर एक कुएं से बरामद किए गए बैग के संबंध में, उसने कहा कि वह नहीं जानता कि कुआं किसका था, बावजूद इसके कि वह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आधे घंटे तक उसके पास रुका रहा, जिस दौरान किसी भी ग्रामीण, गवाह या अभियुक्त ने मालिक की पहचान का खुलासा नहीं किया। उसे अपनी घड़ी का ज्वेल काउंट भी याद नहीं था, उसने स्वीकार किया कि उस पर कोई विशेष पहचान चिह्न नहीं था और यह चांदी के रंग की एक मानक एचएमटी घड़ी थी, जो एक सामान्य मॉडल है।

9. तथ्य के प्रमुख गवाह, पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2, किसी भी अभियुक्त को पहचानने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, उनके बयान विरोधाभासी हैं और उनमें पुष्टि का अभाव है। अन्य पीड़िता, पी.डब्ल्यू.-7, जिसकी घड़ी कथित तौर पर लूटी गई थी, बरामदगी के बाद अपनी स्वयं की घड़ी को भी निर्णायक रूप से पहचानने में विफल रहा। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के प्रकरण में पूर्ण विसंगति है।

10. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान में, अभियुक्त राज कुमार, जिसकी आयु लगभग 19 वर्ष थी, ने कहा कि वह महोबा टॉकीज में फिल्म देख रहा था, जब मनोरंजन कर अधिकारी ने उसके पैरों पर थूक दिया था। जब उसने आपत्ति की, तो विवाद हो गया। अभियुक्त आजम बक्श ने कहा कि उसे गांव की दुश्मनी के कारण वाद में झूठा फंसाया गया था।

11. अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। अभियोजन की कहानी में विसंगतियां हैं और पुष्टि का अभाव है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं। परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 19.04.1988 को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

12. अपीलार्थियों, अपीलार्थी संख्या 2 (राजकुमार) और अपीलार्थी संख्या 3 (आजम बक्श) को एतद्वारा सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। उनके जमानत बंधपत्र और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं।

13. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

14. अधिवक्ता सुश्री सीमा पांडेय को इस वाद में न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें इस न्यायालय को प्रदान की गई विधिक सहायता के लिए 15,000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा।

5 अगस्त, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के.के. मौर्य

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”